प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई प्रणाली को किया और अधिक सुदृढ़

आम जनता की जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण को सरल बनाने हेतु जनसुनवाई को थाना एवं चौकी स्तर से करने का आदेश पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दिया है। आदेश के क्रम में निम्न बिन्दु पर थाना प्रभारी एवं थाने पर नियुक्त अपने अधीनस्थ को अवगत करायें कि जनशिकायत में किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी । इसे व्यवस्थित रुप प्रदान करने के लिए निम्न प्रणाली लागु की गयी है –

(A)

चौकियों पर जनसुनवाई प्रणाली

1. प्रत्येक चौकी पर जनसुनवाई रजिस्टर पूर्व प्रेषित प्रारुप में तैयार कर दिनांक 31.05.2022 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाय ।
2. चौकी प्रभारी यदि चौकी पर मौजूद है तो जनशिकायतों का अभिलेखीकरण जनसुनवाई रजिस्टर में करें एवं स्वयं जांच कर विधिक कार्यवाही करें ।
3. चौकी प्रभारी के गैर मौजुदगी में द्वितीय अधिकारी द्वारा जनशिकायतों का अभिलेखीकरण , सुनवाई एवं जाँच करें ।
4. चौकी प्रभारी के गैर मौजुदगी में निगरानी पर मौजूद पुलिस कर्मी द्वारा जनशिकायतों का अभिलेखीकरण किया जाय ।
5. चौकी प्रभारी द्वारा प्रतिदिन दर्ज जनशिकायतों का अवलोकन कर जांच की जाने वाली कार्यवाही का पर्वेक्षण किया जाय एवं थाना प्रभारी को अवगत कराया जाये।
6. प्रत्येक दशा में प्रत्येक चौकी पर 24 घण्टें पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य रूप से बनी रहे, यह कदापि न पाया जाय कि चौकी पर ताला लगा है या चौकी पर कोई पुलिस कर्मी मौजूद नही है।

(B)

थाने पर जनसुनवाई प्रणाली

1. पूर्व में निर्गत आदेश के अनुरूप जनसुनवाई रजिस्टर का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाय।
2. प्रात- 08.00 बजें से रात्रि 08.00 बजे तक यदि प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष थाना परिसर में मौजूद नहीं है, तो जनशिकायतों का जनसुनवाई रजिस्टर में पंजीकरण व जांच का पूर्ण दायित्व दिवसाधिकारी का होगा, इसी प्रकार रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक उक्त दायित्व रात्रिकालीन अधिकारी का होगा।
3. प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की थाने पर मौजूदगी पर यह दायित्व उनका होगा।
4. प्रतिदिन रात्रि 10.00 से 11.00 बजे के मध्य समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पिछले 24 घण्टों में प्राप्त जनशिकायतों की जांच, निराकरण की समीक्षा करेंगे तथा जनसुनवाई रजिस्टर में अंकित करेंगे।
5. उक्त के अतिरिक्त जनसुनवाई रजिस्टर का रख-रखाव एवं थाने पर प्राप्त शिकायतों को जनसुनवाई रजिस्टर में अंकित किये जाने हेतु प्रातः 09.00 बेज चरात्रि 09.00 बजे तक 02 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगायी जाय, जिन्हे "जनसुनवाई अधिकारी" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
6. जनसुनवाई अधिकारी के नाम से चिन्हित किये गये पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अन्यत्र कहीं न लगायी जाय, इनके चयन में विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाय कि आमजन के साथ व्यवहार मधुर हो एवं छवि साफ-सुथरी हो। किन्हीं कारणों से इनके न रहने पर 02 पुलिस कर्मी रिजर्व के रूप में रिजर्व के रूप में रखें जायं, जिनकों इनकी अनुपस्थित में इस कार्य में लगाया जाये।
7. दिनांक-31.05.2022 को जनसुनवाई अधिकारी हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों के नाम की सूची वाचक पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करायी जाय।
8. यदि थाने पर कोई व्यक्ति अपनी समस्या के साथ उपस्थित होता है और उस व्यक्ति की समस्या का अंकन जनसुनवाई रजिस्टर में नही किया जाता है तो जनसुनवाई अधिकारी के साथ-साथ प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
9. यदि किसी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा किसी जनशिकायत का जनसुनवाई रजिस्टर में अंकन करने से रोका जाता है तो जनसुनवाई अधिकारी पुलिस अधीक्षक सीयूजी/गोपनीय हेल्पलाईन नं0- (9454400250 व 8354960010) पर जरिये काल या मैसेज सूचित करें, जिससे सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। ऐसा न करने पर जनसुनवाई अधिकारी दोषी होंगे।

(C)
क्षेत्राधिकारी के दायित्व

1. समस्त क्षेत्राधिकारीगण प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक निम्नानुसार आवंटित थाने पर जाकर जनसुनवाई करें एवं जनसुनवाई की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना सुनिशित करें।

क्षेत्राधिकारी	सोमवार	मंगलवार	बुद्धवार	वृहस्पतिवार	शुक्रवार
नगर	कोतवाली	सिधारी	रानी की सराय	कंधरापुर	महिला थाना
सदर	मुबारकपुर	जहानागंज	गम्भीरपुर	निजामाबाद	-
लालगंज	देवगांव	बरदह	तरवां	मेंहनगर	मेंहनाजपुर
बूढ़नपुर	कप्तानगंज	अतरौलिया	अहरौला	तहबरपुर	-
फूलपुर	फूलपुर	सरायमीर	दीदारगंज	पवई	-
सगड़ी	जीयनपुर	महराजगंज	रौनापार	बिलरियागंज	-

2. दिनांक 31.05.2022 से 03.06.2022 के मध्य अपने अधीनस्थ समस्त चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण कर जनसुनवाई के इन निर्देशों के अनुपालन में लिखित रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. प्रत्येक रविवार को अपने कार्यलय में अधीनस्थ समस्त थानों का जनसुनवाई रजिस्टर मंगाकर 10.00 बजें से 12.00 बजे के मध्य जनसुनवाई अधिकारी के साथ बैठक कर किन्ही 05 फरियादियों से वार्ता कर उनका फीडबैक प्राप्त करें तथा प्राप्त फीडबैक को जनसुकनवाई रजिस्टर में अंकित करें एवं रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के साथ अच्छा कार्य करने वाला पुलिस कर्मयों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(D)
अपर पुलिस अधीक्षक के दायित्व

1. प्रत्येक रविवार को दिन में 10.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य अपने क्षेत्रान्तर्गत 03 थाने (प्रत्येक सर्किल से 01 थाना) के जनसुनवाई अधिकारी के साथ बैठक कर किन्ही 05 फिरयादियों से वार्ता कर उनका फीडबैक प्राप्त करें तथा प्राप्त फीडबैक को जनसुनवाई रजिस्टर में अंकित करें एवं रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. दिनांक 31.05.2022 से 05.06.2022 के मध्य रात्रि 08.00 बजे से समस्त थानों पर जाकर जनसुनवाई प्रणाली के तहत किये जा रहें अनुपालन की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के साथ-साथ अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

कार्यवाही न किये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण-

1. थाने पर प्राप्त जनशिकायतों का जनशिकायत रजिस्टर में अंकित न किया जाना।
   (जनसुनवाई अधिकारी/दिवसाधिकारी/रात्रिकालीन अधिकारी /प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष)
2. घायल होने की स्थिति में चिट्ठी मजरूबी जारी न करना।
   (हेड मोहर्रिर/ड्यूटी मंशी)
3. चिट्ठी मजरूबी जारी होने व उपचाररत होने के पश्चात अभियोग पंजीकृत न किया जाना।
   (प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष)
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने पर वादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न दिया जाना।
   (प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/हेड मोहर्रिर)
5. घायल व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त न करना।
   (विवेचनाधिकारी/ हेड मोहर्रिर)
6. मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट के आधार पर उचित धाराओं का समावेश न करना।
   (विवेचनाधिकारी)
7. अभियुक्त की गिरफ्तारी नियमानुसार समय से न किया जाना।
   (क्षेत्राधिकारी/प्रभआरी निरीक्षक/थानाध्य/विवेचनाधिकारी)
8. एनबीड्बलू/82 दं0प्र0सं0/174ए भादवि/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही समय से न करना।
   (क्षेत्राधाकारी/थाना प्रभारी/विवेचनाधिकारी)

थाना सिधारी

महिला के साथ दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर जान माल की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 28.05.2022 को आवेदिका थाना-मुबारकपुर ,जनपद-आजमगढ़ द्वारा शिकायत प्रकोष्ट के माध्यम से प्रेषित प्रार्थना पत्र में अभियुक्त शिवम यादव (केदार यादव का नाती) पुत्र अज्ञात निवासी रामपुर थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा आवेदिका को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया व किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 219/22 धारा376/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक स्वतंन्त्र कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 31.05.2022 को प्रभारी निरीक्षक स्वतंन्त्र कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र प्रमोद यादव सा0 ग्रा0 कोटवा थाना रानी की सराय आजमगढ हाल मुकाम ग्राम रामपुर माफी थाना सिधारी जनपद आजमगढ को कोटवा से समय 08.20 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 219/22 धारा376/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त

1-शिवम यादव पुत्र प्रमोद यादव सा0 ग्रा0 कोटवा थाना रानी की सराय आजमगढ हाल मुकाम ग्राम रामपुर माफी थाना सिधारी जनपद आजमगढ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.प्र0नि0 स्वतंन्त्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

2.कां0 रोहित कुमार साहू थाना सिधारी आजमगढ़

3.कां0 महोश गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़

4- म0का0 पल्लवी गुप्ता थाना सिधारी आजमगढ़

थाना अतरौलिया

ग्राम कड़सरा व ग्राम पोरब पोखरा के पास लूट की घटना कारित करने वाला अवैध देशी तमंचा वकारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, 01 दर्जन मुकदमे दर्ज

1. पूर्व का विवरण- अभियुक्त अंश उर्फ बबुआ पुत्र कान्ता निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 08.12.2021 को ग्राम कड़सरा व दिनांक 10.12.2021 को पोरब पोखरा के पास कस्बा अतरौलिया में लूट की घटना कारित करना जिसमें दौराने विवेचना अभियुक्त अंश उर्फ बबुआ उपरोक्त की सफल गिरफ्तारी व बरामदगी एक अदद जिन्दा कारतूस 32 वोर व 1000 हजार रुपया नगद माल मशरूका सम्बन्धित मु0अ0स0 220/21 धारा 392 IPC व एक अदद मोटर साइकिल नम्बर UP65AB5856 से SO श्री मदन कुमार गुप्ता थाना अतरौलिया की फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/22 धारा 3/25 A. act व मु0अ0सं0 184/22 धारा 41/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ बनाम अंश उर्फ बबुआ पुत्र कान्ता उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 25.5.2022 थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता मय हमराह का0 अमित जायसवाल, का0 मुकेश गुप्ता, का0 भोलू यादव, उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह का0 रमाकान्त गुप्ता व का0 प्रवीण कुमार के मुखबीर की सूचना पर छितौनी बाईपास पुल के नीचे से मु0अ0सं0 218/21 धारा 392/411 IPC व मु0अ0सं0 220/21 धारा 392 IPC में वांछित अभियुक्त अंश उर्फ बबुआ पुत्र कान्ता उम्र 21 वर्ष निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ जिसके पास से एक अदद देशी तमांचा 32 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर, तथा 500 - 500 के दो नोट कुल 1000 रुपया माल मशरूका तथा मोटर साइकिल नं0 UP65AB5856 के समय करीब 02:30 बजे हिरासत पुलिस लेकर नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

3. पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 183/22 धारा 3/25 A. act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 184/22 धारा 41/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

4. गिरफ्तार अभियुक्त– -

1. शिवम मौर्या पुत्र स्व0 राधेश्याम मौर्या निवासी इटायल भवानीपुर उम्र करीब 20 वर्ष थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

5. पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 221/16 धारा 392 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 87/17 धारा 3/25 A. act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 87/17 धारा 3/25 A. act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 87/17 धारा 3/25 A. act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 175/17 धारा 392 IPC थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 272/17 धारा 272/273 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 79/18 धारा 307 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 39/22 धारा 323/504/506 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 218/21 धारा 392/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 220/21 धारा 392,411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 183/22 धारा 3/25 A. act थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 184/22 धारा 41/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

6. बरामदगी –

एक अदद देशी तमांचा 32 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर,
500 - 500 के दो नोट कुल 1000 रुपया माल मशरूका तथा मोटर साइकिल नं0 UP65AB5856

7. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. SO मदन कुमार गुप्ता 2. का0 अमित जायसवाल 3. का0 मुकेश गुप्ता 4. का0 भोलू यादव 5. उ0नि0 शैलेश कुमार यादव 6. का0 रमाकान्त गुप्ता 7. का0 प्रवीण कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.05.2022 को वादिनी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष उपस्थित थाना आकर प्रार्थनापत्र दिया कि अबूसाद पुत्र मोबिन द्वारा जब मै घर मे अकेली थी तो घर मे आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा बिरोध करने पर मारते पीटते हुए मेरे साथ बलत्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है, इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु.अ.स 167/22 धारा 376,323,506 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष गम्भीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियोग उपरोक्त के नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देश प्राप्त हुआ था जिसके क्रम मे आज दिनांक 31.05.2022 को थानाध्यक्ष गम्भीरपुर द्वारा अभियुक्त अबुसाद उपरोक्त को फरिहाँ तिराहे से समय करीब 07.50 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 167/22 धारा 376/323/506 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त ....

अबुसाद पुत्र मोबिन निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम......

थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द थाना गंभीरपुर आजमगढ़
का नीरज यादव थाना गंभीरपुर आजमगढ़
का0 संतोष कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़